



भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व: उपलब्धियां, चुनौतियां और संभावनाएं

डॉ राकेश कुशवाहा

सहायक प्राध्यापक कला एवं वाणिज्य विभाग संत अलॉयसियस इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, गौर, जबलपुर

शोध-सारांश- भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक समावेशन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण आयाम है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के ऐतिहासिक एवं संवैधानिक विकास, वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों, संरचनात्मक चुनौतियों तथा भावी संभावनाओं का विश्लेषण करना है। अध्ययन में संसद, राज्य विधानमंडलों तथा पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को केंद्र में रखा गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त राजनीतिक समानता तथा 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन में आरक्षण ने महिलाओं के राजनीतिक प्रवेश का व्यापक संस्थागत आधार निर्मित किया है। साथ ही, संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 ने संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के प्रश्न को नए संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में स्थापित किया है।

अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि प्रतिनिधित्व में वृद्धि को स्वतः राजनीतिक सशक्तिकरण का पर्याय नहीं माना जा सकता। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, राजनीतिक दलों में महिलाओं की सीमित भागीदारी, संसाधनों तक असमान पहुँच, चुनावी राजनीति की लागत, राजनीतिक हिंसा, सामाजिक रूढ़ियाँ तथा निर्णयात्मक स्वायत्तता की सीमाएँ महिला राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती हैं। अतः अध्ययन संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और सार्थक राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच अंतर को रेखांकित करता है। निष्कर्षतः, महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावी राजनीतिक सशक्तिकरण में परिवर्तित करने के लिए आरक्षण के साथ राजनीतिक प्रशिक्षण, संस्थागत सहयोग, संसाधनों तक समान पहुँच, नेतृत्व-विकास तथा निर्णय-निर्माण में वास्तविक स्वायत्तता आवश्यक है।

शब्दकुंज : महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक सहभागिता, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, राजनीतिक आरक्षण, पंचायती राज, संसद, राज्य विधानमंडल, राजनीतिक स्वायत्तता, लोकतांत्रिक समावेशन।

प्रस्तावना –

लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सहभागिता और समावेशिता का विशेष महत्व है। लोकतंत्र की संस्थागत प्रभावशीलता केवल निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका मूल्यांकन इस आधार पर भी किया जाता है कि समाज के विभिन्न वर्गों एवं समूहों को सत्ता-संरचनाओं, नीति-निर्माण तथा निर्णय-प्रक्रिया में किस सीमा तक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस संदर्भ में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय तथा लोकतांत्रिक समावेशन का एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। भारत जैसे बहुलतावादी लोकतंत्र में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न विशेष महत्व रखता है, क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या में व्यापक हिस्सेदारी के बावजूद राजनीतिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी ऐतिहासिक रूप से असमान रही है।

भारतीय संविधान ने महिलाओं को विधिक एवं राजनीतिक समानता का आधार प्रदान करते हुए समान नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित किए हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में औपचारिक समानता प्रदान की। इसके अतिरिक्त 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थागत हस्तक्षेप किया। इस व्यवस्था ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को स्थानीय शासन के स्तर पर व्यापक बनाया तथा राजनीतिक नेतृत्व के लिए नए अवसरों का निर्माण किया। इसी क्रम में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के



प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए किए गए संवैधानिक एवं नीतिगत प्रयास महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के विमर्श को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनाते हैं।

यद्यपि प्रतिनिधित्व के अवसरों में विस्तार हुआ है, तथापि मात्र संख्यात्मक वृद्धि को वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण का पर्याय नहीं माना जा सकता। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना, संसाधनों तक असमान पहुँच, चुनावी राजनीति की बढ़ती लागत, सामाजिक रूढ़ियाँ, राजनीतिक हिंसा तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों की निर्णयात्मक स्वायत्तता जैसे कारक महिला राजनीतिक सहभागिता की प्रकृति एवं प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। अतः महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन केवल प्रतिनिधियों की संख्या के संदर्भ में न होकर उनके राजनीतिक प्रभाव, निर्णय-निर्माण में सहभागिता तथा संस्थागत स्वायत्तता के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है।

साहित्य समीक्षा-

भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित साहित्य का विस्तार स्वतंत्रता के पश्चात क्रमशः हुआ है, किंतु 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के बाद इस विषय पर अकादमिक विमर्श को विशेष गति प्राप्त हुई। उपलब्ध साहित्य का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन मुख्यतः चार व्यापक आयामों—‘ राजनीतिक सहभागिता, स्थानीय स्वशासन में प्रतिनिधित्व, संसदीय राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के अंतर्संबंध —के आधार पर विकसित हुआ है।

महिला राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रारंभिक अध्ययनों में महिलाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए सामाजिक एवं संस्थागत अवसरों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस साहित्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को केवल निर्वाचन में भागीदारी तक सीमित न रखते हुए निर्णय-निर्माण, नेतृत्व एवं नीति-निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भूमिका से संबद्ध किया गया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति लोकतंत्र की प्रतिनिधिक प्रकृति को व्यापक बनाती है, किंतु केवल संख्यात्मक उपस्थिति को पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व पर उपलब्ध साहित्य अपेक्षाकृत व्यापक है। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात महिलाओं के लिए आरक्षण ने ग्रामीण स्थानीय शासन में उनके प्रवेश का संस्थागत आधार निर्मित किया। विषयगत अध्ययन में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण, निर्णय-निर्माण, राजनीतिक जागरूकता तथा सामाजिक भागीदारी का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से संकेत मिलता है कि आरक्षण ने महिलाओं तथा अन्य वंचित समूहों की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि की, किंतु पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, जातिगत असमानता, पुरुष प्रतिनिधियों का प्रभुत्व तथा निर्णय लेने में पुरुष परिजनों की भूमिका जैसी बाधाएँ प्रभावी राजनीतिक सहभागिता को सीमित करती हैं।

इसी संदर्भ में पंचायती राज पर किए गए अन्य अध्ययनों में यह प्रश्न प्रमुखता से उभरता है कि ‘ क्या आरक्षण महिलाओं को केवल राजनीतिक पद प्रदान करता है या वास्तविक राजनीतिक शक्ति और निर्णयात्मक स्वायत्तता भी उपलब्ध कराता है? साहित्य में इसके दोनों पक्ष दिखाई देते हैं। एक ओर आरक्षण ने महिलाओं के लिए राजनीतिक नेतृत्व का मार्ग खोला है, वहीं दूसरी ओर कुछ अध्ययनों ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक स्वायत्तता पर परिवार तथा स्थानीय पुरुष सत्ता-संरचनाओं के प्रभाव की ओर संकेत किया है। इस प्रकार प्रतिनिधित्व की उपलब्धि और प्रभावी राजनीतिक सशक्तिकरण के मध्य अंतर साहित्य का एक महत्वपूर्ण विमर्श बना है।

नायक और हर्षित के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं की संसद तक पहुँच के मार्गों से संबंधित है। उनके अनुसार महिला राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए राजनीतिक दल, पारिवारिक एवं राजनीतिक नेटवर्क, सामाजिक आंदोलनों तथा महिला आरक्षण से संबंधित संघर्ष महत्वपूर्ण मार्ग रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल व्यक्तिगत राजनीतिक क्षमता का परिणाम नहीं है, बल्कि राजनीतिक संस्थाओं, सामाजिक नेटवर्क और संसाधनों तक पहुँच से भी गहराई से प्रभावित होता है।



संसद में महिला प्रतिनिधित्व के सामाजिक आयाम पर भी साहित्य ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। नायक और हर्षित ने महिला सांसदों की जाति, वर्ग, धर्म और शिक्षा जैसे सामाजिक आयामों का अध्ययन करते हुए यह रेखांकित किया है कि “महिलाएँ” स्वयं कोई एकसमान राजनीतिक श्रेणी नहीं हैं। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाली महिलाओं के राजनीतिक अनुभव, हित और प्रतिनिधित्व की आवश्यकताएँ भिन्न हो सकती हैं। इस प्रकार महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन ‘अंतर्विभाजकता’ के दृष्टिकोण से करना आवश्यक हो जाता है।

हाल के अध्ययनों ने यह भी रेखांकित किया है कि भारत में स्थानीय सरकारों के स्तर पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जबकि संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही है। 2024 के एक व्यापक अकादमिक अवलोकन में भारत में पिछले दो दशकों के महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करते हुए स्थानीय शासन में हुई प्रगति और उच्च राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की सीमाओं के बीच अंतर को रेखांकित किया गया है। साथ ही, महिला मतदाताओं की राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि और राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को एक महत्वपूर्ण मतदाता समूह के रूप में संबोधित किए जाने को भी समकालीन राजनीतिक परिवर्तन के रूप में देखा गया है।

समकालीन शोध में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व को ‘संख्यात्मक प्रतिनिधित्व’ और ‘सार्थक-वस्तुगत प्रतिनिधित्व’ के अंतर से समझने पर भी बल दिया गया है। संख्यात्मक प्रतिनिधित्व का संबंध राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति से है, जबकि सार्थक प्रतिनिधित्व इस बात से संबंधित है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि नीति-निर्माण, संसदीय बहस, स्थानीय विकास तथा महिलाओं से संबंधित मुद्दों को किस सीमा तक राजनीतिक एजेंडे में स्थान देती हैं। इस दृष्टिकोण से महिला प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन केवल निर्वाचित महिलाओं की संख्या के आधार पर करना अपर्याप्त माना जाता है।

उपलब्ध साहित्य का समग्र अवलोकन यह दर्शाता है कि महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में ‘संस्थागत आरक्षण और प्रतिनिधित्व के विस्तार’ के सकारात्मक प्रभावों को स्वीकार किया गया है, किंतु प्रतिनिधित्व और वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण के बीच संबंध अभी भी जटिल है। स्थानीय स्तर पर आरक्षण ने महिलाओं के राजनीतिक प्रवेश का विस्तार किया है, जबकि संसद एवं विधानसभाओं में राजनीतिक दलों की भूमिका, संसाधनों तक पहुँच, सामाजिक नेटवर्क और चुनावी प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण निर्धारक बने हुए हैं। साथ ही, महिला प्रतिनिधित्व के अध्ययन में जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र और सामाजिक पृष्ठभूमि जैसे अंतर्विभाजक आयामों को शामिल करने की आवश्यकता भी साहित्य से स्पष्ट होती है।

शोध के उद्देश्य-

प्रस्तुत अध्ययन का व्यापक उद्देश्य भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रकृति, विकास, उपलब्धियों, संरचनात्मक चुनौतियों तथा भावी संभावनाओं का विश्लेषण करना है। अध्ययन इस आधारभूत प्रश्न को केंद्र में रखता है कि संवैधानिक समानता एवं राजनीतिक आरक्षण के माध्यम से महिलाओं के लिए निर्मित संस्थागत अवसर किस सीमा तक प्रभावी राजनीतिक सहभागिता एवं निर्णयात्मक सशक्तिकरण में परिवर्तित हुए हैं। इसी व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत अध्ययन के निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं—

1. भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के ऐतिहासिक एवं संवैधानिक विकास का अध्ययन करना तथा उन प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों और संस्थागत सुधारों का विश्लेषण करना, जिन्होंने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए आधार निर्मित किया।
2. संसद, राज्य विधानमंडलों तथा पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करना तथा विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के मध्य प्रतिनिधित्व की प्रकृति एवं स्तर में विद्यमान अंतर को स्पष्ट करना।
3. महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रमुख उपलब्धियों का मूल्यांकन करना विशेषतः राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व-विकास, निर्णय-निर्माण तथा स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में।



4. महिलाओं के प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के समक्ष विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं संस्थागत चुनौतियों का विश्लेषण करना, जिनमें पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, संसाधनों तक असमान पहुँच, राजनीतिक दलों की भूमिका तथा निर्णयात्मक स्वायत्तता प्रमुख हैं।

5. महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व और वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण के मध्य संबंध का विश्लेषण करना, ताकि संख्यात्मक प्रतिनिधित्व तथा सार्थक राजनीतिक सहभागिता के बीच अंतर को स्पष्ट किया जा सके।

6. भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भावी संभावनाओं का अध्ययन करना तथा संवैधानिक सुधारों, आरक्षण, राजनीतिक दलों की भूमिका और संस्थागत उपायों के आधार पर महिला राजनीतिक नेतृत्व को अधिक प्रभावी बनाने की संभावनाओं का विश्लेषण करना।

भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व-

भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक शासन, लैंगिक समानता और समावेशी राजनीतिक भागीदारी का महत्वपूर्ण आयाम है। भारतीय संविधान महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया में समान भागीदारी का अवसर देता है। इसके बावजूद, स्वतंत्रता के पश्चात लंबे समय तक संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत सीमित रहा है।

स्थानीय स्वशासन में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को व्यापक आधार प्रदान किया। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई सीटों के आरक्षण ने बड़ी संख्या में महिलाओं को औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं में प्रवेश का अवसर दिया। कई राज्यों में यह आरक्षण 50 प्रतिशत तक किया गया है। इससे जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व का विस्तार हुआ है, हालांकि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक स्वायत्तता और निर्णय-निर्माण में प्रभाव को लेकर विभिन्न अध्ययन चुनौतियों की ओर संकेत करते हैं।

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्थिति अपेक्षाकृत भिन्न रही है। संसद तथा विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या लंबे समय तक पुरुषों की तुलना में काफी कम रही। महिला आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों ने इस बहस को संस्थागत रूप दिया है। अतः भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन केवल संख्यात्मक भागीदारी तक सीमित न होकर महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता, राजनीतिक प्रभाव, नेतृत्व और प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता के संदर्भ में भी किया जाना आवश्यक है।

महिला प्रतिनिधित्व का ऐतिहासिक एवं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य-

भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विकास सामाजिक सुधार आंदोलनों, स्वतंत्रता संग्राम तथा संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना से जुड़ा हुआ है। उन्नीसवीं शताब्दी में महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह तथा बाल-विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध हुए सुधार आंदोलनों ने महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी के लिए आधार तैयार किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली और विजयलक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं की सक्रियता ने राजनीतिक क्षेत्र में महिला भागीदारी को व्यापक सामाजिक स्वीकृति प्रदान की।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने महिलाओं को राजनीतिक समानता का स्पष्ट संवैधानिक आधार प्रदान किया। संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 द्वारा लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध तथा अनुच्छेद 16 द्वारा सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी दी गई। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान तथा राजनीतिक सहभागिता का अधिकार प्रदान किया।



स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधनों (1992) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों में कम-से-कम एक-तिहाई सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया। इससे जमीनी स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ।

संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहल है, जिसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में लगभग एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से संबद्ध है। इस प्रकार, भारत में महिला प्रतिनिधित्व का विकास समान नागरिक अधिकारों से आरक्षण-आधारित राजनीतिक सशक्तीकरण तक की क्रमिक संवैधानिक यात्रा को दर्शाता है।

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति-

भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति में स्वतंत्रता के बाद क्रमिक सुधार हुआ है, किंतु यह अभी भी पुरुषों की तुलना में असमान है। संविधान ने महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से उन्हें मतदान और चुनाव लड़ने का समान अवसर दिया। इसके बावजूद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी लंबे समय तक सीमित रही है।

स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में संविधान संशोधनों ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को व्यापक आधार प्रदान किया। पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में कम-से-कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक किया है। इससे बड़ी संख्या में महिलाएँ स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं में निर्वाचित हुई हैं और राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति अपेक्षाकृत धीमी रही है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम है। राजनीतिक दलों में टिकट वितरण, चुनावी संसाधनों तक सीमित पहुँच, सामाजिक रूढ़ियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और राजनीतिक संरचनाओं में पुरुष वर्चस्व प्रमुख बाधाएँ हैं।

महिला आरक्षण से संबंधित 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया है। इसका प्रभाव परिसीमन और संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया के बाद होगा। अतः भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ है, लेकिन वास्तविक और प्रभावी राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तथा सामाजिक स्तर पर निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की उपलब्धियाँ-

भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के विस्तार को लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्रमिक सामाजिक पुनर्संयोजन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की भूमिका केवल मतदाता के रूप में सीमित न रहकर नीति-निर्माण, प्रशासनिक निर्णय तथा राजनीतिक नेतृत्व के विभिन्न स्तरों तक विस्तृत हुई है। विशेष रूप से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था ने राजनीतिक सहभागिता के लिए महिलाओं के एक व्यापक आधार का निर्माण किया है। इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की अनेक महिलाएँ पहली बार औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं में प्रवेश कर निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ीं।

महिला प्रतिनिधित्व की एक प्रमुख उपलब्धि यह रही है कि इससे सार्वजनिक विमर्श में उन सामाजिक प्रश्नों को अधिक संस्थागत अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है, जिनका प्रत्यक्ष संबंध महिलाओं और परिवारों के दैनिक जीवन से है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, पोषण तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे विषय स्थानीय राजनीतिक प्राथमिकताओं का हिस्सा बने हैं। हालांकि इन परिवर्तनों को केवल महिला प्रतिनिधित्व का प्रत्यक्ष परिणाम मानना उचित नहीं होगा, फिर भी विभिन्न अध्ययनों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी और स्थानीय विकास संबंधी प्राथमिकताओं के बीच संबंधों की ओर संकेत किया गया है।



राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक राजनीति में भी महिलाओं की उपस्थिति ने नेतृत्व के पारंपरिक स्वरूप को व्यापक बनाया है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी तथा उच्च संवैधानिक एवं राजनीतिक पदों पर उनकी उपस्थिति ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लैंगिक संरचना में परिवर्तन का आधार तैयार किया है। इसी क्रम में 2023 का 106वाँ संविधान संशोधन महिलाओं के विधायी प्रतिनिधित्व को संस्थागत रूप से विस्तारित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अतः महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की उपलब्धियों को केवल संख्या में वृद्धि के बजाय लोकतांत्रिक भागीदारी, राजनीतिक दृश्यता और निर्णय-निर्माण में महिलाओं की संस्थागत उपस्थिति के विस्तार के संदर्भ में समझना अधिक उपयुक्त है।

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चुनौतियाँ-

भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विस्तार संवैधानिक प्रावधानों, निर्वाचन सुधारों तथा स्थानीय स्वशासन में आरक्षण जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से हुआ है। तथापि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के व्यापक परिदृश्य में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अनेक संरचनात्मक एवं संस्थागत अवरोधों से प्रभावित है। विशेष रूप से संसद एवं राज्य विधानमंडलों में महिलाओं की सीमित उपस्थिति यह संकेत करती है कि राजनीतिक समानता की संवैधानिक अवधारणा और उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन के मध्य अभी भी अंतर विद्यमान है।

महिला प्रतिनिधित्व की प्रमुख चुनौती राजनीतिक दलों की संगठनात्मक एवं उम्मीदवार चयन प्रक्रियाओं में निहित है। दलों द्वारा चुनावी प्रत्याशियों के निर्धारण में महिलाओं को अपेक्षाकृत सीमित अवसर प्राप्त होना उनकी राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करता है। इसके साथ ही दलों की निर्णय-निर्माणकारी संस्थाओं में महिलाओं की अपर्याप्त भागीदारी राजनीतिक नेतृत्व के उच्च स्तरों तक उनकी पहुँच को सीमित करती है।

सामाजिक संरचना भी महिला राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताएँ, लैंगिक भूमिकाओं का पारंपरिक विभाजन तथा परिवार-केंद्रित दायित्व महिलाओं के सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में सक्रिय प्रवेश को सीमित कर सकते हैं। आर्थिक संसाधनों, राजनीतिक नेटवर्क तथा चुनावी अभियान संचालित करने की क्षमता में विद्यमान असमानताएँ इस समस्या को और जटिल बनाती हैं।

इसके अतिरिक्त, राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक हिंसा, चरित्र-आधारित विमर्श तथा डिजिटल माध्यमों पर उत्पीड़न जैसी चुनौतियाँ महिला प्रतिनिधियों की प्रभावी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती हैं। स्थानीय शासन के संदर्भ में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी उनके वास्तविक राजनीतिक स्वायत्तता के प्रश्न को रेखांकित करती है।

इस प्रकार, महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चुनौती मात्र प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि का प्रश्न नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता, राजनीतिक स्वायत्तता, निर्णय-निर्माण में प्रभावी सहभागिता तथा संस्थागत समानता से संबद्ध व्यापक प्रश्न है।

प्रतिनिधित्व से राजनीतिक सशक्तिकरण-

राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल निर्णय-निर्माण संस्थाओं में उपस्थिति का माध्यम नहीं, बल्कि सत्ता-संरचनाओं में सहभागिता और नागरिक अधिकारों के प्रभावी उपयोग का महत्वपूर्ण आधार है। विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में प्रतिनिधित्व को राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जाता है। जब महिलाएँ संसद, विधानसभाओं तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में निर्वाचित होकर प्रवेश करती हैं, तो वे नीतियों, कानूनों और सार्वजनिक संसाधनों के निर्धारण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी प्राप्त करती हैं।

महिला प्रतिनिधित्व का प्रभाव केवल संख्यात्मक वृद्धि तक सीमित नहीं रहता। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी सार्वजनिक नीति के उन क्षेत्रों को राजनीतिक विमर्श में अधिक स्पष्टता प्रदान कर सकती है, जो महिलाओं और परिवारों के सामाजिक-आर्थिक जीवन से संबंधित हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा तथा सामाजिक कल्याण। स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी ने राजनीतिक प्रशिक्षण, सार्वजनिक वक्तृत्व, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समझ



तथा सामुदायिक नेतृत्व के लिए नए अवसर भी निर्मित किए हैं। इस प्रकार प्रतिनिधित्व राजनीतिक क्षमताओं के विकास की आधारभूमि तैयार करता है।

हालाँकि, प्रतिनिधित्व को स्वतः राजनीतिक सशक्तिकरण का पर्याय मानना उचित नहीं होगा। निर्वाचित होने के बावजूद अनेक महिलाओं को दलगत संरचनाओं, संसाधनों की कमी, सामाजिक रूढ़ियों, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा निर्णय लेने की सीमित स्वायत्तता जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वास्तविक सशक्तिकरण का मूल्यांकन केवल निर्वाचित महिलाओं की संख्या से नहीं, बल्कि नीति-निर्माण में उनकी प्रभावशीलता, निर्णयात्मक स्वायत्तता, संसाधनों तक पहुँच और राजनीतिक संस्थाओं में उनकी निरंतर भागीदारी से किया जाना चाहिए।

अतः राजनीतिक प्रतिनिधित्व को राजनीतिक सशक्तिकरण का आवश्यक किंतु पर्याप्त नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संस्थागत आधार माना जा सकता है। प्रतिनिधित्व तब सार्थक सशक्तिकरण में परिवर्तित होता है, जब महिलाओं की संस्थागत उपस्थिति वास्तविक निर्णयाधिकार, नेतृत्व क्षमता और नीति-निर्माण में प्रभावी सहभागिता में परिणत होती है।

महिला आरक्षण एवं भावी संभावनाएँ-

भारतीय लोकतंत्र में महिला आरक्षण केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक समावेशन को सुदृढ़ करने की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहल है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के अनुभवों ने यह प्रदर्शित किया है कि संस्थागत अवसर उपलब्ध होने पर महिलाएँ राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। इसी अनुभव और व्यापक लैंगिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में किए गए संवैधानिक प्रयास विशेष महत्व रखते हैं। इस संदर्भ में महिला आरक्षण की भावी संभावनाओं को केवल प्रतिनिधित्व के विस्तार तक सीमित न रखकर उसके व्यापक राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों के संदर्भ में समझना आवश्यक है।

इस दृष्टि से महिला आरक्षण की पहली महत्वपूर्ण संभावना राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की संख्यात्मक भागीदारी के विस्तार से संबंधित है। प्रतिनिधित्व में वृद्धि के परिणामस्वरूप नीति-निर्माण के विमर्श में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को अधिक संस्थागत स्थान प्राप्त हो सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक हिंसा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा स्थानीय विकास जैसे विषयों पर महिला जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी नीति-प्राथमिकताओं को अधिक समावेशी बनाने में योगदान दे सकती है। हालाँकि, केवल प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि को राजनीतिक सशक्तिकरण का पर्याप्त संकेतक नहीं माना जा सकता। इसके लिए महिलाओं को वास्तविक निर्णय-निर्माण में स्वायत्तता, संसदीय कार्यों में सक्रिय भागीदारी और संस्थागत अधिकार प्राप्त होना भी आवश्यक है।

संख्यात्मक प्रतिनिधित्व के संभावित विस्तार का एक व्यापक प्रभाव राजनीतिक नेतृत्व की सामाजिक संरचना में परिवर्तन के रूप में सामने आ सकता है। भारतीय राजनीति में लंबे समय से पुरुष-प्रधान राजनीतिक नेटवर्क, संसाधनों तक असमान पहुँच और चुनावी राजनीति से जुड़ी सामाजिक एवं आर्थिक बाधाएँ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करती रही हैं। आरक्षण इन संरचनात्मक अवरोधों को कम करने का एक संस्थागत माध्यम उपलब्ध करा सकता है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए राजनीतिक नेतृत्व के नए अवसर विकसित होने तथा राजनीतिक दलों के संगठनात्मक ढाँचे और उम्मीदवार चयन की प्रक्रियाओं में क्रमिक परिवर्तन की संभावना बनती है। इस प्रकार, आरक्षण का प्रभाव केवल आरक्षित सीटों तक सीमित न रहकर व्यापक राजनीतिक संस्कृति को भी प्रभावित कर सकता है।

हालाँकि, प्रतिनिधित्व में वृद्धि को स्थायी राजनीतिक सशक्तिकरण में परिवर्तित करने के लिए क्षमता-विकास और संस्थागत सहयोग समान रूप से आवश्यक होंगे। निर्वाचित महिलाओं के लिए विधायी प्रक्रियाओं की समझ, नीति-विश्लेषण, वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता, नेतृत्व-कौशल तथा स्वतंत्र निर्णय-क्षमता से संबंधित प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को महिलाओं को केवल आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित न रखते हुए संगठनात्मक और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में भी पर्याप्त अवसर प्रदान करने होंगे। सामाजिक स्तर पर परिवार, समुदाय और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका को स्वीकार करने वाली लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार होगा।



अतः महिला आरक्षण की दीर्घकालीन संभावनाएँ केवल संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए निर्धारित सीटों की संख्या में वृद्धि से निर्धारित नहीं होंगी, बल्कि इस बात से निर्धारित होंगी कि यह व्यवस्था महिलाओं की सार्थक, स्वतंत्र और प्रभावी राजनीतिक भागीदारी को किस सीमा तक सुनिश्चित करती है। यदि आरक्षण को राजनीतिक प्रशिक्षण, संस्थागत समर्थन, संसाधनों तक समान पहुँच और लैंगिक समानता की व्यापक सामाजिक चेतना से जोड़ा जाता है, तो यह भारतीय लोकतंत्र की प्रतिनिधिक प्रकृति को अधिक व्यापक बना सकता है। इस अर्थ में महिला आरक्षण को केवल एक चुनावी व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता और निर्णय-निर्माण की संरचना को अधिक समावेशी बनाने की दीर्घकालीन प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है।

निष्कर्ष-

भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विकास संवैधानिक समानता से संस्थागत आरक्षण और राजनीतिक सहभागिता के विस्तार तक की एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्वशासन में आरक्षण ने महिलाओं के राजनीतिक प्रवेश, नेतृत्व-विकास तथा निर्णय-निर्माण में उनकी उपस्थिति को व्यापक आधार प्रदान किया है। संसद और राज्य विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की संवैधानिक पहल ने इस प्रक्रिया को उच्च राजनीतिक संस्थाओं तक विस्तारित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार निर्मित किया है।

हालाँकि, अध्ययन यह भी रेखांकित करता है कि मात्र संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण का पर्याप्त संकेतक नहीं माना जा सकता। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, राजनीतिक दलों में सीमित अवसर, संसाधनों की असमान उपलब्धता, सामाजिक रूढ़ियाँ तथा निर्णयात्मक स्वायत्तता की सीमाएँ महिलाओं की प्रभावी राजनीतिक सहभागिता के समक्ष प्रमुख अवरोध हैं। अतः भविष्य की दिशा ऐसी प्रतिनिधित्व-व्यवस्था के निर्माण की होनी चाहिए जिसमें आरक्षण के साथ राजनीतिक प्रशिक्षण, नेतृत्व-विकास, संस्थागत सहयोग और समान संसाधन सुनिश्चित हों। इस प्रकार महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व तभी सार्थक लोकतांत्रिक सशक्तिकरण में परिणत होगा, जब महिलाओं की संस्थागत उपस्थिति वास्तविक निर्णयाधिकार, नीति-निर्माण में प्रभाव और राजनीतिक स्वायत्तता में परिवर्तित हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची —

- [1] अग्रवाल, प्रमोद कुमार. (2015). भारत में पंचायती राज. ज्ञान गंगा प्रकाशन, नई दिल्ली.
- [2] आर्य, राकेश कुमार. (2020). महिला सशक्तिकरण और भारत.
- [3] कौशिक, आशा. (2004). नारी सशक्तिकरण: विमर्श एवं यथार्थ. पॉण्डिचेरी/पोएटर पब्लिशर्स, जयपुर.
- [4] चतुर्वेदी, जागृति. (2023). महिला एवं भारतीय राजनीति: अवसर एवं चुनौतियाँ.
- [5] छाबड़ा, [सत्यापन आवश्यक]. *महिला राजनीतिक सहभागिता और भारतीय लोकतंत्र.
- [6] धवन, हरिमोहन. (1998). महिला सशक्तिकरण: विविध आयाम. रावत पब्लिकेशन, जयपुर.
- [7] देसाई, नीरा, & ठक्कर, ऊषा. (2009). भारतीय समाज में महिलाएँ. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली.
- [8] नायक, अशोक, & द्विवेदी, हर्षित. पंचायती राज में महिला नेतृत्व: महिलाएँ एवं राजनीतिक सहभागिता. पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर.
- [9] निशांत सिंह. (2008). महिला राजनीति और आरक्षण. ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
- [10] पंचोला, राधी, & सेमवाल, एम. एम. (2011). पर्वतीय महिला एवं पंचायत राज. रिसर्च इंडिया प्रेस, नई दिल्ली.
- [11] महीपाल. (2015). पंचायती राज: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली.
- [12] मैथ्यू, जॉर्ज. (2003). भारत में पंचायती राज: परिप्रेक्ष्य और अनुभव. वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली.
- [13] मैथ्यू, जॉर्ज, & नायक, रमेश चंद्र. (1996). पंचायतें व्यवहार में: क्या लाभ हैं, इनसे शोषित वर्गों को? इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नई दिल्ली.
- [14] सिंह, सीमा. (2010). पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण. विद्या विहार, नई दिल्ली.
- [15] सिंह, जयश्री. (2018). पंचायती राज में महिला नेतृत्व व राजनीतिक सहभागिता.



-
- [16] सिंह, निशांत. (2010). पंचायती राज और महिलाएँ. सुनील साहित्य, दिल्ली.
- [17] सोलंकी, ललिता. महिला आर्थिक सशक्तिकरण एवं पंचायती राज. क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली.
- [18] शास्त्री, अश्विनी. (2018). भारतीय राजनीति की 50 शिखर महिलाएँ. [हिंदी संस्करण].
- [19] शर्मा, इंदु, & अग्रवाल, शिवाली. (2011). महिला सशक्तिकरण के नवीन आयाम: सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिप्रेक्ष्य में. राधा पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
- [20] वशिष्ठ, सरिता. (2010). महिला सशक्तिकरण. कल्पना पब्लिकेशन, दिल्ली.
- [21] गुप्त, विश्वनाथ. भारत में पंचायती राज. सुरभि प्रकाशन, दिल्ली.